

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता(भू-अभिलेखों
में नामांतरण) नियम, 2018

(धारा 109, 110 के अधीन निर्मित)

दिनांक 04 जनवरी, 2019 से प्रभावशील

(6)

इसे वेबसाइट www.govt_pressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजस्व

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 1]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 4 जनवरी 2019—पौष 14, शक 1940

भाग ४

विषय-सूची

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| (क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, | (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, | (3) संसद में पुरस्थापित विधेयक. |
| (ख) (1) अध्यादेश, | (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, | (3) संसद के अधिनियम. |
| (ग) (1) प्रारूप नियम, | (2) अन्तिम नियम. | |

भाग ४ (क) — कुछ नहीं

भाग ४ (ख) — कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

प्रारूप नियम

राजस्व विभाग

मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 दिसम्बर 2018

क्रमांक एफ 2-14/2018/सात/शा.6— मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 258 की उपधारा (2) के खण्ड (तेर्इस) के साथ पठित धारा 109 तथा धारा 110 द्वारा

प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2498—सात—एन—एक दिनांक 10 जून, 1965 जो कि मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 02 जुलाई, 1965 को प्रकाशित की गई थी, को अतिथित करते हुये, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता (भू—अभिलेखों में नामांतरण), नियम 2018, जिन्हें उक्त संहिता की धारा 258 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित किये अनुसार पूर्व में प्रकाशित किया जा चुका है, बनाती हैः—

नियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ —

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता (भू—अभिलेखों में नामांतरण) नियम, 2018 है।
- (2) ये मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ —

- (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, —
 - (क) 'संहिता' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959);
 - (ख) 'प्ररूप' से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न प्ररूप;
 - (ग) "धारा" से अभिप्रेत है संहिता की धारा।
- (2) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का जो इन नियमों में प्रयुक्त किए गए हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं तथा संहिता में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो संहिता में उनके लिए क्रमशः समनुदेशित है।

भाग—क

अधिकारों के अर्जन की रिपोर्ट तथा फीस का भुगतान

3. (1) धारा 109 की उपधारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा भूमि में अधिकार या हित अर्जित करने की रिपोर्ट—
- (क) भूमिस्वामी अधिकार या हित के अर्जन के मामले में,— प्ररूप—एक में;
 - (ख) पट्टाधृति अधिकार या हित के अर्जन के मामले में,— प्ररूप—दो में;
 - (ग) अवयस्क भूमिस्वामी अथवा अवयस्क पट्टेदार के वयस्क होने के मामले में,— प्ररूप—तीन में;
 - (घ) खण्ड (क) से (ग) से भिन्न किसी अधिकार या हित के अर्जन के मामले में,—प्ररूप—चार में; और
 - (ङ) कृषि के प्रयोजन के लिए निर्धारित भूमि के मामले में, नामांतरण तथा खाते के विभाजन के लिए एक साथ कार्यवाही के लिए आवेदन के मामले में,— प्ररूप—पांच में; की जाएगी।
- (2) उपनियम (1) के अधीन रिपोर्ट, धारा 109 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण—तीन में विनिर्दिष्ट तरीकों में से किसी एक तरीके से या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, जब कभी ऐसा सिस्टम लागू हो, से की जाएगी।
- (3) जहां भूमि में का ऐसा अधिकार या हित किसी सर्वेक्षण संख्यांक या ब्लाक संख्यांक या भूखंड संख्यांक के अंशभाग पर अर्जित किया गया है वहां राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर जारी किए गए नियमों के अनुसार नामांतरण—पूर्त रेखाचित्र (प्री—म्यूटेशन स्केच) तैयार किया जाएगा तथा उपनियम (1) की रिपोर्ट के साथ संलग्न किया जाएगा।
- (4) अधिकार या हित अर्जित करने वाला पक्षकार भू—अभिलेखों में नामांतरण के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित फीस का भुगतान करेगा:
- परन्तु जब तक ऐसी अधिसूचना जारी नहीं कर दी जाती है, कोई फीस देय नहीं होगी:
- परन्तु यह और भी कि धारा 109 या 110 या इन नियमों के अधीन देय कोई अपेक्षित फीस या शास्ति का भुगतान नहीं किया गया हो तो वह भू—राजरव के बकाया के तौर पर वसूल योग्य होगी।
- (5) उपनियम (1) में की गई रिपोर्ट की लिखित अभिस्वीकृति दी जाएगी।

4. रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा धारा 109 की उपधारा (2) के अधीन प्रज्ञापना, दस्तावेज के रजिस्ट्रीकरण की तारीख से दस दिन के भीतर, राज्य सरकार द्वारा राज्य-समय पर जारी किए गए निदेशों के अनुसार तैयार नामांतरण-पूर्व रेखाचित्र (प्री-म्यूटेशन स्केच) के साथ प्ररूप-छ: में तहसीलदार को भेजी जाएगी। रजिस्ट्रीकरण अधिकारी भूमि में हक या अधिकार अर्जन करने वाले व्यक्ति से नियम 3 के उपनियम (4) के अधीन अभिलेखों में नामांतरण के लिये देय फीस जमा करवाएगा तथा प्ररूप-छ: में उसके ब्यौरे देगा। प्ररूप-छ: में की गई प्रज्ञापना की प्रति भी विलेख के पक्षकारों को दी जाएगी।
5. धारा 110 की उपधारा (1) के अधीन संधारित की जाने वाली अधिकारों या हितों के अर्जन की रिपोर्टों के लिए पंजी प्ररूप-सात में होगी।
6. धारा 110 की उपधारा (2) के अधीन अधिकार अर्जन संबंधी प्रज्ञापना प्ररूप-आठ में तहसीलदार को प्रस्तुत की जाएगी।

भाग— ख

भू-अभिलेखों में नामांतरण के मामलों में कार्यवाहियाँ

7. (1) तहसीलदार धारा 110 की उपधारा (3) के खण्ड (ख) के अधीन समस्त हितबद्ध व्यक्तियों को प्ररूप-नौ में नोटिस जारी करेगा, जिनमें निम्नलिखित व्यक्ति तथा प्राधिकारी भी सम्मिलित हैं—
 - (क) उस मामले में जब भूमि शासन द्वारा पट्टे पर या अनुज्ञाप्ति पर दी गई है— संबंधित विभाग का जिला प्रमुख या जहां कोई जिला प्रमुख नहीं है विभाग का सचिव;
 - (ख) उस मामले में जब भूमि किरी स्थानीय निकाय द्वारा पट्टे पर या अनुज्ञाप्ति पर दी गई है— संबंधित स्थानीय निकाय का मुख्य कार्यपालन अधिकारी;
 - (ग) उस मामले में जब भूमि राज्य सरकार द्वारा स्थापित या नियंत्रित किसी प्राधिकारी द्वारा पट्टे पर या अनुज्ञाप्ति पर दी गई है— ऐसे प्राधिकारी का जिला प्रमुख या जहां कोई जिला प्रमुख नहीं है वहां ऐसे प्राधिकारी का मुख्य कार्यपालन अधिकारी।
- (2) तहसीलदार नामांतरण के प्रस्ताव से संबंधित सार्वजनिक नोटिस प्ररूप-दस में अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर और यथास्थिति संबंधित ग्राम पंचायत या नगरीय निकाय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करेगा और संबंधित ग्राम या सेक्टर में प्रकाशित करेगा।
- (3) जांच के दौरान यदि तहसीलदार को उन व्यक्तियों, जिन्हें उपरोक्त उपनियम (1) के अधीन नोटिस जारी किये गये हैं, से मिल कोई हितबद्ध व्यक्ति का होना ज्ञात होता है तो वह ऐसे हितबद्ध व्यक्ति को भी नोटिस जारी करेगा।

8. (1) तहसीलदार धारा 110 की उपधारा (4) के अधीन आदेश पारित होने के पश्चात् पारित किए गये आदेश तथा अद्यतन भू-अभिलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ, धारा 110 की उपधारा (5) के अधीन यथा उपबंधित निःशुल्क प्रदाय करने हेतु तिथि नियत करेगा जो तीस दिन से अधिक की नहीं होगी।
- (2) इस प्रकार नियत तिथि को आदेश तथा अद्यतन खसरा और नक्शा की प्रमाणित प्रतिलिपि पक्षकारों को परिदत्त की जाएगी। तहसीलदार भू-अधिकार पुस्तिका में आवश्यक प्रविष्टि करेगा या यदि अपेक्षित हो, पक्षकारों को नवीन भू-अधिकार पुस्तिका जारी करेगा।
- (3) यदि कोई पक्षकार ऐसी वांछा करे या यदि कोई पक्षकार उपनियम (1) के अधीन नियत तिथि को उपस्थित नहीं होता है तो आदेश तथा अद्यतन खसरा और नक्शा की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ रजिस्ट्रीकूट डाक द्वारा या ऐसी अन्य रीति में, जैसी कि राज्य सरकार निर्देशित करे, पक्षकार को भेजी जाएंगी।
9. धारा 110 की उपधारा (7) के अधीन लंबित मामलों की तिमाही रिपोर्ट आगामी तिमाही के दसवें दिन तक प्ररूप-ग्यारह में कलेक्टर को भेजी जाएगी। राज्य सरकार मॉनीटिरिंग हेतु ऐसी रिपोर्ट स्वचलित तैयार करने के लिये एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम स्थापित कर सकेगी।

भाग—ग

कृषि के प्रयोजन के लिए निर्धारित भूमि के मामले में नामांतरण तथा खाते के विभाजन के लिए एक साथ कार्यवाहियाँ

10. धारा 59 के अधीन कृषि के प्रयोजन के लिए निर्धारित भूमि में अधिकार या हित अर्जित करने वाला पक्षकार, धारा 110 के अधीन भू-अभिलेखों में अधिकार या हित का नामांतरण कराने तथा धारा 178 के अधीन खाते का विभाजन कराने के लिए एक साथ कार्यवाही हेतु आवेदन कर सकेगा।
11. (1) यदि नियम 10 के अधीन आवेदन किया जाता है तो तहसीलदार धारा 110 के अधीन भू-अभिलेखों में अधिकारों के नामांतरण के लिए तथा धारा 178 के अधीन खाते के विभाजन के लिए एक मामला दर्ज करेगा और सुनवाई कर एक साथ आदेश पारित करने के लिये अग्रसर होगा।
- (2) उपनियम (1) के अधीन की जाने वाली कार्यवाहियों में इन नियमों तथा धारा 178 और उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों का पालन किया जाएगा।
- (3) जहाँ खाते के विभाजन के संबंध में कोई आपत्ति उठाई जाती है, तहसीलदार भू-अभिलेखों में नामांतरण का आदेश पारित करेगा तथा खाते का विभाजन चाहने वाले पक्षकारों को धारा 178 के अंतर्गत पृथक से आवेदन करने का निर्देश देगा।

प्ररूप—एक

(नियम—3 देखिए)

भू—अभिलेख में भूमिस्वामी अधिकार या हित के अर्जन की रिपोर्ट प्रति,

तहसीलदार/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार

तहसील.....

जिला.....म.प्र.

भाग—एक

मैं/हम.....(नाम) एतदद्वारा, भूमि में भूमिस्वामी अधिकार या हित के अर्जन की रिपोर्ट कर रहा हूँ/रहे हैं तथा मध्यप्रदेश भू—राजख्य संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 110 के अधीन भू—अभिलेख में नामांतरण करने के लिए निवेदन करता हूँ/करते हैं।

1. अधिकार या हित अर्जित करने वाले व्यक्तियों का विवरण :

अनु क्रमांक	नाम तथा पता	पिता/माता/पति/संरक्षक का नाम	लिंग	आयु	मोबाइल फोन नम्बर	अनुसूचित जनजाति/अन्य	पहचान दस्तावेज का विवरण एवं क्रमांक	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.								
2.								

2. उन व्यक्तियों का विवरण जिनके द्वारा अधिकार/हित/दावे का अंतरण/
समनुदेशन/त्यजन किया गया है:

अनुक्रमांक	नाम तथा पता	पिता/माता/पति/सरकार का नाम	लिंग	आयु	मोबाइल फोन नम्बर	अनुसूचित जनजाति/अन्य	पहचान दस्तावेज का विवरण एवं क्रमांक	अस्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.								
2.								

3. भूमि तथा अधिकार/हित का विवरण

पटवारी हल्का क्रमांक/सेक्टर क्रमांक	ग्राम/नगरीय क्षेत्र का नाम	सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लॉक संख्यांक/भूखण्ड संख्यांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में)	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर भूमिस्वामी अधिकार/हित अर्जित किया गया है	अधिकार/हित अर्जन करने वाले व्यक्तियों के नाम	अधिकार/हित अर्जन का विवरण	
						हिस्सा	क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

4. भूमिस्वामी अधिकार / हित के अर्जन का प्रकार-

अनु क्रमांक	प्रकार	अपेक्षित दस्तावेज (स्वतः सत्यापित प्रतियां संलग्न की जाये)	कृपया टिक(✓) करें, यदि सलग्न हो
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	विरासत द्वारा	1. मृत भूमिस्वामी का मृत्यु प्रमाणपत्र या भूमिस्वामी की मृत्यु का समुद्धित प्रमाण 2. पारिवारिक वंशावली/उत्तराधिकारियों की सूची तथा उनके हिस्से	
2.	वसीयत द्वारा	वसीयतनामा	
3.	कथ द्वारा	रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख	
4.	दान द्वारा	रजिस्ट्रीकृत दान विलेख	
5.	भूमि के विनियम द्वारा	विनियम का रजिस्ट्रीकृत विलेख	
6.	न्यायालय की डिकी द्वारा	न्यायालय की डिकी	
7.	भूमि अर्जन द्वारा	पारित किया गया अवार्ड	
8.	भूमि आवंटन द्वारा	भूमि आवंटन का आदेश	
9.	भूमि में दावों के त्वजन द्वारा	निर्मुक्ति/विमुक्ति विलेख	
10.	किसी अन्य प्रकार द्वारा (जो उक्त में वर्णित नहीं है)	सुसंगत दस्तावेज	

5. फीस के ब्यौरे

(रुपयों में)

राशि अंकों में	राशि शब्दों में	जमा की गई फीस की रसीद के ब्यौरे
(1)	(2)	(3)

घोषणा

1. मैं / हम पुत्र / पुत्री / पति पता (पूर्ण पता)
..... मोबाइल नम्बर एतदद्वारा घोषणा करता/करती हूँ/ हैं कि मेरे /हमारे द्वारा दी गई जानकारी मेरे /हमारे ज्ञान और विश्वास से सत्य एवं सही है तथा मेरे / हमारे द्वारा कोई भी बात छिपाई नहीं गई है। मैं / हम यह भी समझता हूँ/ समझते हैं कि मेरे / हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी असत्य होने की दशा में मेरे / हमारे विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा सकेगी।
2. मैं / हम निवेदन करता हूँ/करते हैं कि इस रिपोर्ट में मेरे/हमारे द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार भू-अभिलेखों में नामांतरण किया जाए।

दिनांक

हस्ताक्षर

स्थान

नाम

(रिपोर्ट करने वाला व्यक्ति)

आवश्यक संलग्नक:-

- (1) खसरा की प्रति
- (2) नामांतरण—पूर्व रेखाचित्र (प्री-म्यूटेशन स्केच) की प्रति (जहाँ लागू हो)
- (3) अधिकार या हित अर्जित करने वाले व्यक्तियों के पते के प्रमाण की प्रति
- (4) अधिकार या हित अर्जित करने वाले व्यक्तियों की पहचान के प्रमाण की प्रति
- (5) यदि रिपोर्ट करने वाला व्यक्ति अधिकार या हित अर्जन करने वाले व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति है, तो रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति के पते का प्रमाण तथा उसकी पहचान स्थापित करने के साथ अधिकार या हित अर्जित करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित प्राधिकार पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।
- (6) विधिक व्यक्ति की दशा में-

- (1) विधिक व्यक्ति की पहचान स्थापित करने वाला दस्तावेज जैसे पैन कार्ड, जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन नम्बर, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज द्वारा जारी किया गया सी.आइ.एन. नम्बर, रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी जैसे रजिस्ट्रार फर्म एण्ड सोसाइटीज, पंजीयक लोक न्यास आदि द्वारा जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र या बैंक खाता पासबुक आदि; और
- (2) ऐसे विधिक व्यक्ति की ओर से कार्य करने के लिए सक्षम निकाय या व्यक्ति द्वारा जारी किया गया प्राधिकार पत्र संलग्न किया जाएगा।
- (7) उपरोक्त रिपोर्ट के पैरा 4 में विनिर्दिष्ट दस्तावेज
- (8) फीस की रसीद की प्रति
- टिप्पणी :- (1) दस्तावेजों की स्व-सत्यापित प्रतियां इस प्ररूप के साथ संलग्न की जाएं।
(2) पहचान के प्रमाण की स्व-सत्यापित प्रति - आधार कार्ड या समकक्ष, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, किसी बैंक की पासबुक या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी या प्रमाणित कोई फोटो पहचान पत्र।

भाग— दो

अभिस्वीकृति

प्रति,

श्री/ श्रीमती/ कु

पुत्र/ पुत्री/ पति

पता

उपरोक्त भाग—एक में प्रस्तुत रिपोर्ट की एतदद्वारा अभिस्वीकृति दी जाती है।

दिनांक:

मुद्रा

स्थान:

प्राप्तकर्ता प्राधिकारी का नाम एवं पदनाम

तहसील.....

जिला

प्र॒ल॒प—दो

(नियम—3 देखिए)

पट्टाधृति अधिकार या हित के अर्जन की रिपोर्ट

अंति,

तहसीलदार/अपर तहसीलदार/नाथब तहसीलदार

तहसील.....

जिला.....म.प्र.

भाग—एक

मैं/हम.....(नाम) एतदद्वारा, भूमि में पट्टाधृति अधिकारों या हितों के अर्जन की रिपोर्ट कर रहा हूँ/रहे हैं तथा मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 110 के अधीन भू—अभिलेख में नामांतरण के लिए निवेदन करता हूँ/करते हैं।

1. अधिकार या हित अर्जित करने वाले व्यक्तियों का विवरण :

अनुक्रमांक	नाम तथा पता	पिता/ माता/ पति/ संरक्षक का नाम	लिंग	आयु	मोबाइल फोन नम्बर	अनुसूचित जनजाति/अन्य	पहचान दस्तावेज का विवरण एवं क्रमांक	आमुकित
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.								
2.								

2. उन व्यक्तियों का विवरण जिनके द्वारा अधिकार/हित/दावे का अंतरण/समनुदेशन/त्यजन किया गया है:

अनुक्रमांक	नाम तथा पता	पिता/माता/पति/संरक्षक का नाम	लिंग	आयु	मोबाइल फोन नम्बर	अनुसूचित जनजाति/अन्य	पहचान दस्तावेज का विवरण एवं क्रमांक	अन्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.								
2.								

3. भूमि तथा अधिकार/हित का विवरण

पटवारी हल्का क्रमांक/सेक्टर क्रमांक	ग्राम/नगरीय क्षेत्र का नाम	सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लॉक संख्यांक/भू-खण्ड संख्यांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में)	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर पटटाधृति अधिकार/हित अर्जित किया गया है	अधिकार/हित अर्जन करने वाले व्यक्तियों के नाम	अधिकार/हित अर्जन का विवरण	हिस्सा क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

4. पट्टाधृति अधिकार/हित के अर्जन का प्रकार-

अनुक्रमांक	प्रकार	अपेक्षित दस्तावेज (खतः सत्यापित प्रतियां संलग्न की जायें)	कृपया टिक(√) करें, यदि सलंगन हो
(1)	(2)	(3)	(4)
1	विरासत द्वारा	1. मृत पट्टेदार का मृत्यु प्रमाणपत्र या पट्टेदार की मृत्यु का समुचित प्रमाण 2. पारिवारिक वंशावली/उत्तराधिकारियों की सूची तथा उनके हिस्से	
2	वसीयत द्वारा	वसीयतनामा	
3	क्य द्वारा	रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख	
4	दान द्वारा	रजिस्ट्रीकृत दान विलेख	
5	भूमि के विनिमय द्वारा	विनिमय का रजिस्ट्रीकृत विलेख	
6	न्यायालय की डिकी द्वारा	न्यायालय की डिकी	
7	भूमि आवंटन द्वारा	भूमि आवंटन का आदेश	
8	भूमि में दावों के त्यजन द्वारा	निर्मुक्ति/विमुक्ति विलेख	
9	किसी अन्य प्रकार द्वारा (जो उक्त में वर्णित नहीं हैं)	सुसंगत दस्तावेज	

5. फीस के ब्यौरे

(रुपयों में)

राशि अंकों में	राशि शब्दों में	जमा की गई फीस की रसीद के ब्यौरे
(1)	(2)	(3)

ઘોષણા

1. मैं / हम पुत्र / पुत्री / पति पता (पूर्ण पता)
..... मोबाइल नम्बर एतदद्वारा घोषणा करता / करती
हूँ/ हैं कि मेरे / हमारे द्वारा दी गई जानकारी मेरे / हमारे ज्ञान और विश्वास से रस्त्य एवं
सही है तथा मेरे / हमारे द्वारा कोई भी बात छिपाई नहीं गई है। मैं / हम यह भी समझता
हूँ/ समझते हैं कि मेरे / हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी असत्य होने की दशा में मेरे
/ हमारे विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा सकेगी।

2. मैं / हम निवेदन करता हूँ/ करते हैं कि इस रिपोर्ट में मेरे/ हमारे द्वारा दी गई जानकारी
के अनुसार भू-अभिलेखों में नामांतरण किया जाए।

दिनांक
.....

हस्ताक्षर

स्थान

नाम
.....

(रिपोर्ट करने वाला व्यक्ति)

आवश्यक संलग्नकः—

- (1) खसरा की प्रति

(2) नामांतरण-पूर्व रेखाचित्र (प्री-स्यूटेशन स्केच) की प्रति (जहाँ लागू हो)

(3) अधिकार या हित अर्जित करने वाले व्यक्तियों के पते के प्रमाण की प्रति

(4) अधिकार या हित अर्जित करने वाले व्यक्तियों की पहचान के प्रमाण की प्रति

(5) यदि रिपोर्ट करने वाला व्यक्ति अधिकार या हित अर्जन करने वाले व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति है, तो रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति के पते का प्रमाण तथा उसकी पहचान स्थापित करने के साथ अधिकार या हित अर्जित करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित प्राधिकार पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।

(6) विधिक व्यक्ति की दशा में—

(1) विधिक व्यक्ति की पहचान स्थापित करने वाला दस्तावेज जैसे ऐन कार्ड, जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन नम्बर, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज द्वारा जारी किया गया सी.आइ.एन. नम्बर, रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी जैसे रजिस्ट्रार फर्म एण्ड सोसाइटीज, पंजीयक लोक न्यास आदि द्वारा जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र या बैंक खाता पासबुक आदि; और

- (2) ऐसे विधिक व्यक्ति की ओर से कार्य करने के लिए सक्षम निकाय या व्यक्ति द्वारा जारी किया गया प्राधिकार पत्र संलग्न किया जाएगा।
- (7) उपरोक्त रिपोर्ट के पैरा 4 में विनिर्दिष्ट दस्तावेज
- (8) फीस की रसीद की प्रति

टिप्पणी :- (1) दस्तावेजों की स्व-सत्यापित प्रतियाँ इस प्ररूप के साथ संलग्न की जाएँ।

(2) पहचान के प्रमाण की स्व-सत्यापित प्रति- आधार कार्ड या समकक्ष, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, किसी बैंक की पासबुक या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी या प्रमाणित कोई फोटो पहचान पत्र।

भाग- दो

अभिस्वीकृति

प्रति,

श्री/ श्रीमती/ कु

पुत्र/ पुत्री/ पति

पता

उपरोक्त भाग-एक में प्रस्तुत रिपोर्ट की एतदद्वारा अभिस्वीकृति दी जाती है।

दिनांक:

मुद्रा

स्थान:

प्राप्तकर्ता प्राधिकारी का नाम एवं पदनाम

तहसील.....

जिला

प्ररूप—तीन

(नियम—3 देखिए)

अवयस्क भूमिस्वामी अथवा अवयस्क पट्टेदार के वयस्क होने की रिपोर्ट

प्रति,

तहसीलदार/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार

तहसील.....

जिला.....म.प्र.

भाग— एक

मैं/हम.....(नाम) एतद्वारा, निम्नलिखित अवयस्क भूमिस्वामी/अवयस्क पट्टेदार द्वारा वयस्क होने की रिपोर्ट कर रहा हूँ/रहे हैं तथा मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 110 के अधीन भू—अभिलेख में नामांतरण के लिए निवेदन करता हूँ/करते हैं।

1.उन व्यक्तियों का विवरण जो वयस्क हो गये हैं :—

अनु क्रमांक	नाम तथा पता	पिता/माता/पति/संरक्षक का नाम	लिंग	जन्म तिथि तथा आयु	मोबाइल फोन नम्बर	अनुसूचित जनजाति/अन्य	पहचान दस्तावेज का विवरण एवं क्रमांक	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.								
2.								

2. भूमि का विवरण

पटवारी हल्का क्रमांक/सेक्टर क्रमांक	ग्राम / नगरीय क्षेत्र का नाम	सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक/ भूखण्ड संख्यांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में)
(1)	(2)	(3)	(4)

3. फीस के ब्यौरे

(रूपयों में)

राशि अंकों में	राशि शब्दों में	जमा की गई फीस की रसीद के ब्यौरे
(1)	(2)	(3)

घोषणा

- मैं / हम पुत्र / पुत्री / पति पता (पूर्ण पता)
..... मोबाइल नम्बर एतदद्वारा घोषणा करता / करती हूँ / है कि मेरे / हमारे द्वारा दी गई जानकारी मेरे / हमारे ज्ञान और विश्वास से सत्य एवं सही है तथा मेरे / हमारे द्वारा कोई भी बात छिपाई नहीं गई है। मैं / हम यह भी समझता हूँ / समझते हैं कि मेरे / हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी असत्य होने की दशा में मेरे / हमारे विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा सकेगी।
- मैं / हम निवेदन करता हूँ / करते हैं कि इस रिपोर्ट में मेरे / हमारे द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार भू-अभिलेखों में नामांतरण किया जाए।

दिनांक

हस्ताक्षर

स्थान

नाम

(रिपोर्ट करने वाला व्यक्ति)

आवश्यक संलग्नक :—

- (1) खसरा की प्रति
- (2) वयस्क होने वाले व्यक्तियों के पते का प्रमाण
- (3) वयस्क होने वाले व्यक्तियों की पहचान का प्रमाण
- (4) यदि रिपोर्ट करने वाला व्यक्ति वयस्क होने वाले व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति है, तो रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति के पते का प्रमाण तथा उसकी पहचान के प्रमाण के साथ वयस्क होने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित प्राधिकार पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।
- (5) जन्म तिथि का प्रमाण
- (6) फीस की रसीद की प्रति

टिप्पणी :— (1) दस्तावेजों की स्व-सत्यापित प्रतियां इस प्ररूप के साथ संलग्न की जाएँ।

(2) पहचान के प्रमाण की स्व-सत्यापित प्रति— आधार कार्ड या समकक्ष, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, किसी बैंक की पासबुक या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी या प्रमाणित कोई फोटो पहचान पत्र।

भाग—दो

अभिस्वीकृति

प्रति,

श्री / श्रीमती / कु

पुत्र / पुत्री / पति

पता

उपरोक्त भाग—एक में प्रस्तुत रिपोर्ट की एतद्वारा अभिस्वीकृति दी जाती है।

दिनांक:

मुद्रा

स्थान:

प्राप्तकार्ग प्राधिकारी का नाम एवं पदनाम

तहसील.....

जिला

प्रलूप—चार

(नियम—३ देखिए)

अधिकार या हित के अर्जन की रिपोर्ट

(प्रलूप—एक, प्रलूप—दो या प्रलूप—तीन में रिपोर्ट किए जाने के लिए अपेक्षित मामलों से भिन्न)

प्रति,

तहसीलदार/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार

तहसील.....

जिला.....म.प्र.

भाग—एक

मैं/हम.....(नाम) एतदद्वारा, भूमि में निम्नलिखित अधिकारों या हितों के अर्जन की रिपोर्ट कर रहा हूँ/रहे हैं तथा मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 110 के अधीन भू—अभिलेख में नामांतरण के लिए निवेदन करता हूँ/करते हैं।

1. अधिकार या हित अर्जित करने वाले व्यक्तियों का विवरण :

अनुक्रमांक	नाम तथा पता	पिता/माता/पति/संरक्षक का नाम	लिंग	आयु	मोबाइल फोन नम्बर	अनुसूचित जनजाति/अन्य	पहचान दस्तावेज का विवरण एवं क्रमांक	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.								
2.								

2. उन व्यक्तियों का विवरण जिनके द्वारा अधिकार/हित/दावे का अंतरण/समनुदेशन/त्यजन किया गया है:

अनुक्रमांक	नाम तथा पता	पिता/माता/पति/संरक्षक का नाम	लिंग	आयु	मोबाइल फोन नम्बर	अनुसूचित जनजाति/अन्य	पहचान दस्तावेज का विवरण एवं क्रमांक	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.								
2.								

3. भूमि तथा अधिकार/हित का विवरण

पटवारी हल्का क्रमांक / सेक्टर क्रमांक	ग्राम/नगरीय क्षेत्र का नाम	सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लाक संख्यांक/भूखण्ड संख्यांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्गमीटर में)	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर अधिकार/हित अर्जित किया गया है	अर्जित किए गए अधिकार या हित का प्रकार	अधिकार/हित अर्जित करने वाले व्यक्तियों के नाम	अधिकार/हित का विवरण	हिस्सा क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्गमीटर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

4. अधिकार /हित के अर्जन का प्रकार—

अनुक्रमांक	अधिकार/हित के अर्जन की प्रकृति	सुरक्षात दरतावेज (स्वतः सत्यापित प्रतियों संलग्न की जायें)	कृपया टिक(V) करें, यदि संलग्न हो
(1)	(2)	(3)	(4)
1			
2			

5. फीस के ब्यौरे

(रूपयों में)

राशि अंकों में	राशि शब्दों में	जमा की गई फीस की रसीद के ब्यौरे
(1)	(2)	(3)

घोषणा

- मैं / हम पुत्र / पुत्री / पति पता (पूर्ण पता)
मोबाइल नम्बर एतद्वारा घोषणा
करता / करती हूँ / हैं कि मेरे / हमारे द्वारा दी गई जानकारी मेरे / हमारे ज्ञान और
विश्वास से सत्य एवं सही है तथा मेरे / हमारे द्वारा कोई भी बात छिपाई नहीं गई¹
है। मैं / हम यह भी समझता हूँ / समझते हैं कि मेरे / हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई²
जानकारी असत्य होने की दशा में मेरे / हमारे विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा
सकेगी।
- मैं / हम निवेदन करता हूँ / करते हैं कि इस रिपोर्ट में मेरे / हमारे द्वारा दी गई³
जानकारी के अनुसार भू-आभिलेखों में नामांतरण किया जाए।

दिनांक

हस्ताक्षर

स्थान

नाम

(रिपोर्ट करने वाला व्यक्ति)

आवश्यक संलग्नकः—

- (1) खरसरा की प्रति
- (2) नामांतरण—पूर्व रेखाचित्र (प्री-स्यूटेशन स्केच) की प्रति (जहाँ लागू हो)
- (3) अधिकार या हित अर्जित करने वाले व्यक्तियों के पते के प्रमाण की प्रति
- (4) अधिकार या हित अर्जित करने वाले व्यक्तियों की पहचान के प्रमाण की प्रति
- (5) यदि रिपोर्ट करने वाला व्यक्ति अधिकार या हित अर्जन करने वाले व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति है, तो रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति के पते का प्रमाण तथा उसकी पहचान स्थापित करने के प्रमाण के साथ अधिकार या हित अर्जित करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित प्राधिकार पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।
- (6) विधिक व्यक्ति की दशा में—
 - (1) विधिक व्यक्ति की पहचान स्थापित करने वाला दस्तावेज जैसे पैन कार्ड, जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन नम्बर, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज द्वारा जारी किया गया सी.आइ.एन. नम्बर, रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी जैसे रजिस्ट्रार फर्म एण्ड सोसाइटीज, पंजीयक लोक न्यास आदि द्वारा जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र या बैंक खाता पासबुक आदि; और
 - (2) ऐसे विधिक व्यक्ति की ओर से कार्य करने के लिए सक्षम निकाय या व्यक्ति द्वारा जारी किया गया प्राधिकार पत्र संलग्न किया जाएगा।
- (7) उपरोक्त रिपोर्ट के पैरा 4 में विनिर्दिष्ट दस्तावेज
- (8) फीस की रसीद की प्रति

टिप्पणी :- (1) दस्तावेजों की स्व-सत्यापित प्रतियां इस प्ररूप के साथ संलग्न की जाएं।
 (2) पहचान के प्रमाण की स्व-सत्यापित प्रति — आधार कार्ड या समकक्ष, पैन कार्ड, भतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, किसी बैंक की पासबुक या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी या प्रमाणित कोई फोटो पहचान पत्र।

भाग— दो

अभिस्वीकृति

प्रति,

श्री / श्रीमती / कु
 पुत्र / पुत्री / पति
 पता

उपरोक्त भाग—एक में प्रस्तुत रिपोर्ट की एतदद्वारा अभिस्वीकृति दी जाती है।

दिनांक.....	मुद्रा
स्थान.....	प्राप्तकर्ता प्राधिकारी का नाम एवं पदनाम तहसील.....
	जिला

प्रसूप—पांच

(नियम 3 देखिये)

कृषि के प्रयोजन के लिए निर्धारित भूमि के मामले में नामांतरण तथा खाते के विभाजन के लिए एक साथ कार्यवाही करने हेतु रिपोर्ट एवं आवेदन

प्रति.

तहसीलदार / अतिरिक्त तहसीलदार / नायब तहरीलदार.....

तहसील

जिला..... म.प्र.

भाग—एक

मैं / हम(नाम)एतदद्वारा, भूमि में भूमिस्वामी अधिकार या हित के अर्जन की रिपोर्ट कर रहा हूँ/रहे हैं तथा मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 110 के अधीन भू-अभिलेखों में नामांतरण तथा धारा 178 के अधीन खाते के विभाजन का निवेदन करता हूँ/करते हैं।

1 अधिकार या हित अर्जित करने वाले व्यक्तियों का विवरण

2. उन व्यक्तियों का विवरण जिनके द्वारा अधिकार/हित/दावे का अंतरण/समनुदेशन/त्यजन किया गया है:

अनुक्रमांक	नाम तथा पता	पिता/माता/पति/संरक्षक का नाम	लिंग	आयु	मोबाइल फोन नम्बर	अनुसूचित जनजाति/अन्य	पहचान दस्तावेज का विवरण एवं क्रमांक	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1								
2								

3(क). भूमि का विवरण विद्यमान भू-अभिलेख अनुसार

पटवारी हल्का क्रमांक/सेवटर क्रमांक	ग्राम/नगरीय क्षेत्र का नाम	खाता क्रमांक	भूमिस्थानी/भूभिरस्वामियों के नाम	खाते में हिस्सा	सर्वेक्षण संख्याक्रम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भू-राजस्व (रूपयों में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

*3(ख). नामांतरण उपरांत विभाजन के लिये प्रस्ताव

पटवारी हल्का क्रमांक/ सेक्टर क्रमांक	ग्राम/ नगरीय क्षेत्र का नाम	विभाजन उपरांत प्ररतावित खातों के लिये भूमिस्वामी/ भूमिस्वामियों के नाम	खाते में हिस्सा	सर्वेक्षण संख्यांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्रभाजित भू-राजस्व (रूपयों में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

*टीप:- इस पद के अंतर्गत विभाजन का प्रस्ताव देना आवेदक के लिये अनिवार्य नहीं है। आवेदक चाहे तो उपरोक्त सारणी में खाते में अपना हिस्सा और सर्वेक्षण संख्यांक एवं उनके क्षेत्रफल तथा प्रभाजित भू-राजस्व का उल्लेख करते हुये शेष खाते को शामिल खाते के रूप में दर्शा सकता है।

4. भूमिस्वामी अधिकार / हित के अर्जन का प्रकार-

अनु क्रमांक	प्रकार	अपेक्षित दस्तावेज (स्वतः सत्यापित प्रतियां संलग्न की जाए)	कृपया टिक(✓) करें, यदि सलंग्न हो
(1)	(2)	(3)	(4)
1	विरासत द्वारा	1. मृत भूमिस्वामी का मृत्यु प्रमाणपत्र या भूमिस्वामी की मृत्यु का समुचित प्रमाण 2. पारिवारिक वंशावली/उत्तराधिकारियों की सूची तथा उनके हिस्से	
2	वसीयत द्वारा	वसीयतनामा	
3	क्य द्वारा	रजिष्ट्रीकृत विक्रय विलेख	
4	दान द्वारा	रजिष्ट्रीकृत दान विलेख	
5	न्यायालय की डिकी द्वारा	न्यायालय की डिकी	
6	भूमि अर्जन द्वारा	पारित किया गया अवॉर्ड	
7	भूमि आवंटन द्वारा	भूमि आवंटन का आदेश	
8	भूमि में दावों के त्यजन द्वारा	निर्मुक्ति/विमुक्ति विलेख	
9	किसी अन्य प्रकार द्वारा (जो उक्त में वर्णित नहीं है)	सुसंगत दस्तावेज	

5. फीस के ब्यौरे

(रूपयों में)

राशि अंकों में	राशि शब्दों में	जमा की गई फीस की रसीद के ब्यौरे
(1)	(2)	(3)

घोषणा

1. मैं / हम पुत्र / पुत्री / पति (पूर्ण पता)
 मोबाइल नम्बर एतदद्वारा घोषणा
 करता / करती हूँ / हैं कि मेरे / हमारे द्वारा दी गई जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास
 से सत्य एवं सही है तथा मेरे / हमारे द्वारा कोई भी बात छिपाई नहीं गई है। मैं /
 हम यह भी समझता हूँ / समझते हैं कि मेरे / हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी
 असत्य होने की दशा में मेरे / हमारे विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा सकेगी।
2. मैं / हम निवेदन करता हूँ / करते हैं कि भू-अभिलेखों में नामांतरण तथा कृषि के
 प्रयोजन के लिए खाते का विभाजन इस रिपोर्ट/आवेदन में मेरे / हमारे द्वारा दी गई
 जानकारी के अनुसार किया जाए।

दिनांक

हस्ताक्षर

स्थान

नाम

(आवेदक / रिपोर्ट करने वाला व्यक्ति)

आवश्यक संलग्नक:-

- (1) खसरा की प्रति
- (2) नामांतरण-पूर्व रेखाचित्र (प्री-म्यूटेशन स्केच) की प्रति (जहाँ लागू हो)
- (3) अधिकार या हित अर्जित करने वाले व्यक्तियों के पते के प्रमाण की प्रति

- (4) अधिकार या हित अर्जित करने वाले व्यक्तियों की पहचान के प्रमाण की प्रति
- (5) यदि आवेदक/रिपोर्ट करने वाला व्यक्ति अधिकार या हित अर्जन करने वाले व्यक्ति से गिन्न व्यक्ति है, तो आवेदक/रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति के पते का प्रमाण तथा उसकी पहचान स्थापित करने के प्रमाण के साथ अधिकार या हित अर्जित करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित प्राधिकार पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।
- (6) विधिक व्यक्ति की दशा में—
- (1) विधिक व्यक्ति की पहचान स्थापित करने वाला दस्तावेज जैसे पैन कार्ड, जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन नम्बर, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज द्वारा जारी किया गया सी.आई.एन. नम्बर, रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी जैसे रजिस्ट्रार फर्म एण्ड सोसाइटीज, पंजीयक लोक न्यास आदि द्वारा जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र या बैंक खाता पासबुक आदि; और
- (2). ऐसे विधिक व्यक्ति की ओर से कार्य करने के लिए सक्षम निकाय या व्यक्ति द्वारा जारी किया गया प्राधिकार पत्र संलग्न किया जाएगा।
- (7) उपरोक्त रिपोर्ट के पैरा 4 में विनिर्दिष्ट दस्तावेज
- (8) फीस की रसीद की प्रति
- (9) उपरोक्त रिपोर्ट के पैरा 3(ख) में दिये गये विवरण तथा सह-खातेदारों की हस्ताक्षरित सहमति।
- टिप्पणी :— (1) दस्तावेजों की स्व-सत्यापित प्रतियां इस प्ररूप के साथ संलग्न की जाएं।
- (2) पहचान के प्रमाण की स्व-सत्यापित प्रति— आधार कार्ड या समकक्ष, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, किसी बैंक की पासबुक या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी या प्रमाणित कोई फोटो पहचान पत्र।

भाग— दो

अभिस्वीकृति

प्रति,

श्री/ श्रीमती/ कु

पुत्र/ पुत्री/ पति

पता

उपरोक्त भाग—एक में प्रस्तुत रिपोर्ट और आवेदन की एतद्वारा अभिस्वीकृति दी जाती है।

दिनांक.....

मुद्रा

स्थान.....

प्राप्तकर्ता प्राधिकारी का नाम एवं पदनाम

तहसील.....

जिला

प्रस्तुप-छ:

(नियम 4 देखिये)

..... से तक की अवधि में तहसील जिला में भूमि से संबंधित संव्यवहारों की रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा प्रज्ञापना

पंजीयन का क्रमांक	पटवारी हल्का क्रमांक / सेक्टर क्रमांक	ग्राम/ नगरीय क्षेत्र का नाम जिसमें भूमि अवस्थित है	संव्यवहारों से संबंधित सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लाक संख्यांक/ भूखण्ड संख्यांक	संव्यवहारों से संबंधित क्षेत्रफल (हेक्टेयर/ वर्गमीटर में)	दस्तावेज के निष्पादक का नाम, पता तथा मोबाइल फोन नम्बर जिसके पक्ष में दस्तावेज निष्पादित किया गया है	उस व्यक्ति का नाम, पता तथा मोबाइल फोन नम्बर जिसके पक्ष में दस्तावेज निष्पादित किया गया है	दस्तावेज के निष्पादन का दिनांक	दस्तावेज का प्रकार	भू-अभिलेख में नामांतरण के लिए भुगतान की गई फीस के ब्यौरे	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

स्थान

मुद्रा

हस्ताक्षर

दिनांक

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

तहसील

जिला

प्ररूप-सात
(नियम 5 देखिये)

अधिकार या हित अर्जन की रिपोर्ट की पंजी

ग्राम/नगरीय क्षेत्रपटवारी हल्का कमांक/सेक्टर कमांकतहसीलजिला

अनु क्रमांक	धारा 109 की उपधारा (1) के अधीन रिपोर्ट की प्राप्ति का दिनांक	रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति का नाम, पिता/माता/पति का नाम, पता तथा मोबाइल फोन नम्बर	अधिकार/ हित अर्जन करने वाले व्यक्ति का नाम, पिता/माता/पति/ संरक्षक का नाम, पता तथा मोबाइल फोन नम्बर	भूमि का विवरण जिस पर अधिकार/ हित अर्जित/ त्यजित किया गया है		भूमि में अधिकार/ हित के अर्जन का प्रकार	प्ररूप-ए, दो, तीन, चार या पांच (जैसा मामला हो)	दिनांक जिस पर तहसीलदार को रिपोर्ट भेजी है	अन्युवित
				सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक/ भूखण्ड संख्यांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर/ वर्ग मीटर में)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

प्रलूप-आठ
(नियम 6 देखिये)

संहिता की धारा 110 की उपधारा (2) के अधीन तहसीलदार को पटवारी/नगर सर्वेक्षक की प्रज्ञापना
प्रति,

दिनांक

तहसीलदार/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार.....

तहसील जिला मध्यप्रदेश

विषय:- मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (छमांक 20 सन् 1959) की धारा 110 की उपधारा (2) के अधीन भू-अभिलेखों में नामांतरण के लिए भूमि
में अधिकार /हित के अर्जन की प्रज्ञापना।

यह सूचित किया जाता है कि संहिता की धारा 109 की उपधारा (1) के अधीन भूमि में अधिकारों/हितों के अर्जन से संबंधित
से तक की अवधि के दौरान निम्नलिखित रिपोर्ट मुझे की गई हैं—

अनु क्रमांक	धारा 109 की उपधारा (1) के अधीन रिपोर्ट की प्राप्ति का दिनांक	रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति का नाम, पिता/माता/ पति का नाम, पता तथा मोबाइल फोन नम्बर	अधिकार/ हित अर्जन करने वाले व्यक्ति का नाम, पिता/माता/ पति/ सर्वेक्षक का नाम, पता तथा मोबाइल फोन नम्बर	भूमि का विवरण जिस पर अधिकार/ हित अर्जित/ त्यजित किया गया है	भूमि में अधिकार/ हित के अर्जन का प्रकार	प्रकृति— एक दो, तीन, चार या पांच (जैसा मामला हो)	दिनांक जिस पर तहसीलदार को प्रज्ञापना भेजी है	अभ्युक्ति		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
.....
.....

रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किए गये प्रलूप तथा संलग्नक इसके साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेशित हैं।

दिनांक.....

नाम तथा हस्ताक्षर.....

स्थान

पदनाम.....

संलग्नकों की सूची

पटवारी हत्थो क्रमांक तथा नाम/सेक्टर क्रमांक

1.

2.

प्रस्तुप—नौ

(नियम 7 देखिये)

राजस्व मामलों में नोटिस

न्यायालय तहसील जिला

प्रकरण क्रमांक

आवेदक

विरुद्ध

अनावेदक

प्रेषिति—

श्री / श्रीमती / कु..... पिता / माता / पति का नाम निवास स्थान तहसील जिला

आपको एतद्वारा सूचित किया जाता है, कि उपर्युक्त मामले की सुनवाई (दिनांक) को (समय) बजे (स्थान) पर होगी।

आप न्यायालय में स्वयं या वैध प्रतिनिधि या किसी अधिवक्ता, जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हों, के द्वारा उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि आप ऊपर बताई गई दिनांक को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो मामले की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा।

संलग्नक: रिपोर्ट / आवेदन की प्रति।

दिनांक

मुद्रा

राजस्व अधिकारी

स्थान

पदनाम

पृष्ठांकन क्रमांक-1

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर

नाम.....

मोबाइल फोन नम्बर.....

(यदि प्रेषिती से भिन्न है तो संबंध)

पृष्ठांकन क्रमांक-2

तामील करने संबंधी पृष्ठांकन

दिनांक..... माह..... वर्ष को बजे मेरे द्वारा तामील किया गया।

तामील करने वाले अधिकारी का नाम एवं हस्ताक्षर

प्ररूप-दस

(नियम 7 देखिये)

न्यायालय..... (पीठासीन अधिकारी के नाम सहित)

तहसील..... जिला.....

सार्वजनिक नोटिस

मामला क्रमांक

एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित अनुसूची में उल्लेख अनुसार भू-अभिलेखों में नामांतरण की कार्यवाही इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। कोई भी हितबद्ध व्यक्ति (दिनांक)..... को (समय)..... बजे स्थान..... में इस न्यायालय के समक्ष रवांया या अपने अधिकता, जिसे सम्यक रूप से अनुदेश दिये गये हों, या वैध प्रतिनिधि के द्वारा उपस्थित होकर विचाराधीन नामांतरण के संबंध में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। नियत दिनांक के बाद प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

अनुसूची

पटवारी हल्का क्रमांक/ सेक्टर क्रमांक	ग्राम/ नगरीय क्षेत्र का नाम	सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक/ भूखण्ड संख्यांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में)	विद्यमान भू-अभिलेख में अंकित धारक/ धारकों का नाम, पिता/माता/ पति का नाम तथा पूर्ण पता	उस व्यक्ति/ व्यक्तियों का नाम, पिता/माता/ पति का नाम तथा पूर्ण पता जिनके पक्ष में नामांतरण विचाराधीन है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
.....

आज दिनांक..... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के अधीन जारी किया गया।

दिनांक..... मुद्रा पीठासीन अधिकारी का नाम एवं हस्ताक्षर
स्थान.....

प्ररूप—ग्राहक
(नियम 9 देखिये)

मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 110 की उपधारा (7) में
विनिर्दिष्ट नामांतरण के मामलों की तिमाही रिपोर्ट

(दिनांक) की रिथति

न्यायालय का नाम
तहसीलज़िला

भाग—एक :— दो माह से अधिक लम्बित अविवादित नामांतरण के मामलों की सूची

अनुक्रमांक	मामला क्रमांक	मामला संस्थित होने की दिनांक	पक्षकारों के नाम	मामले की वर्तमान रिथति	मामले के लम्बित रहने की अवधि (वर्ष तथा माह में)	लम्बित रहने के कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.						
2.						

भाग—दो :— छह माह से अधिक लम्बित विवादित नामांतरण के मामलों की सूची

अनुक्रमांक	मामला क्रमांक	मामला संस्थित होने की दिनांक	पक्षकारों के नाम	मामले की वर्तमान रिथति	मामले के लम्बित रहने की अवधि (वर्ष तथा माह में)	लम्बित रहने के कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.						
2.						

दिनांक मुद्रा पीठासीन अधिकारी का नाम

स्थान हस्ताक्षर

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुजीबुर्रहमान खान, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 31 दिसम्बर 2018

क्र. एफ-2-14-2018-सात-शा-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ-2-14-2018-सात-6, दिनांक 31 दिसम्बर 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुजीबुर्रहमान खान, उपसचिव.

Bhopal, the 31st December 2018

No. F 2-14/2018/VII/Se.6 - In exercise of the powers conferred by clause (xxiii) of sub-section (2) of Section 258 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No 20 of 1959) read with Section 109 and Section 110 of the said Code and in supersession of this Department's Notification no. 2498-VII-N-1 dated 10th June, 1965, published in the Madhya Pradesh Rajpatra, dated 2nd July, 1965, the State Government, hereby, makes the Madhya Pradesh Bhu-Rajasv Sanhita (Bhu-Abhilekhon Mein Namantaran) Niyam, 2018, the same having been previously published, as required by sub-section (3) of Section 258 of the said Code:-

RULES

1. Short title and commencement-

- (1) These rules may be called The Madhya Pradesh Bhu-Rajasv Sanhita (Bhu-Abhilekhon Mein Namantaran) Niyam, 2018.
- (2) They shall come into force from the date of publication in the Madhya Pradesh Gazette.

2. Definitions –

- (1) In these rules, unless the context otherwise requires-
 - (a) 'Code' means Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959);
 - (b) 'Form' means Forms appended to these rules;
 - (c) 'Section' means a section of the code.
- (2) The words and expressions used in these rules but not defined in these rules and defined in the Code, shall have the same meaning respectively as assigned to them in the Code.

Part- A

Report of acquisition of rights and payment of fee

- 3. (1) Report of a right or interest acquired in land by a person under sub-section (1) of Section 109 shall be made in -
 - (a) **Form I**, in case of acquisition of Bhumiswami right or interest;
 - (b) **Form II**, in case of acquisition of leasehold right or interest;

- (c) **Form III**, in case of a minor Bhumiswami or minor lessee attaining majority;
 - (d) **Form IV**, in case of acquisition of any right or interest other than (a) to (c); and
 - (e) **Form V**, in case of application for common proceeding for mutation and partition of holding in case of land assessed for the purpose of agriculture.
- (2) The report under sub-rule (1) may be made by any one of the means specified in the Explanation III under sub-section (1) of section 109 or by an electronic system whenever such system is introduced.
- (3) Where such right or interest in land is acquired on a part of a survey number or block number or plot number, a pre-mutation sketch shall be prepared in accordance with the directions issued by the state Government from time to time and attached with the report in sub-rule (1).
- (4) The party acquiring a right or an interest shall pay fees for the mutation in land records as may be notified by the State Government:
- Provided that no fee shall be payable till such notification is issued:
- Provided further that any fee or penalty required to be paid under Section 109 or 110 or these rules, if not paid shall be recoverable as an arrear of land revenue.
- (5) A written acknowledgement of the report made in sub-rule (1) shall be given.

4. The intimation under sub-section (2) of section 109 shall be sent by the Registering Officer to the Tahsildar in **Form VI** along with a pre-mutation sketch prepared in accordance with the directions issued by the State Government from time to time within a period of ten days of registration of a document. The Registering Officer shall cause the fee payable under sub-rule (4) of rule 3 deposited from the person acquiring a title or interest in land for mutation in land records and give the details thereof in **Form VI**. Copy of the intimation made in **Form VI** shall also be given to the parties to the deed.
5. The register to be maintained under sub-section (1) of Section 110 for reporting acquisition of rights or interests shall be in **Form VII**.
6. The intimation regarding acquisition of right shall be submitted to the Tahsildar under sub-section (2) of section 110 in **Form VIII**.

Part – B

Proceedings in cases for mutation in land records

7. (1) The Tahsildar shall issue notice under clause (b) of sub-section (3) of Section 110 in **Form IX** to all persons interested including the following persons and authorities-
 - (a) in case the land has been given on lease or on licence by the Government- to the district head of the concerned department or where there is no such district head - to the Secretary of the Department;

- (b) in case the land has been given on lease or on licence by any Local Body- to the chief executive officer of the concerned Local Body;
 - (c) in case the land has been given on lease or on licence by an authority established or controlled by the State Government- to the District Head of such authority or where there is no such district head - to the chief executive officer of such authority.
- (2) The Tahsildar shall display a public notice relating to the proposed mutation in Form X on the notice board of his office and of the concerned Gram Panchayat or urban local body, as the case may be, and publish it in the concerned village or sector.
- (3) During the enquiry if existence of any interested person other than those to whom notices have been issued under aforesaid sub-rule (1) comes to the knowledge of the Tahsildar, he shall issue notice to such interested person also.
8. (1) After the date of passing order under sub-section (4) of section 110, the Tahsildar shall fix a date not later than thirty days for the delivery of certified copies of the order and updated land records free of cost as provided under sub-section (5) of section 110.
- (2) On the date so fixed certified copies of the order and updated Khasra and maps shall be delivered to the parties. The Tahsildar shall make necessary entries in the Bhu-Adhikar Pustika or, if required, issue new Bhu-Adhikar Pustika to the parties.

- (3) If any party so desires or if any party does not appear on the date fixed under sub-rule (1) the certified copies of the order and updated Khasra and map shall be sent to the party by registered post or by such other means as may be directed by the State Government.
9. Quarterly report of pending cases under sub-section (7) of section 110 shall be sent to the Collector in **Form XI** by the tenth day of the next quarter. The State Government may set up an electronic system for monitoring to generate such reports automatically.

Part- C

Common proceedings for mutation and partition of holding in case of land assessed for the purpose of agriculture

10. A party acquiring a right or interest in land assessed for the purpose of agriculture under section 59 may apply for effecting the mutation of a right or interest in land records under section 110 and partition of holding under section 178 in a common proceedings.
11. (1) If an application is made under rule 10, the Tahsildar shall register a case for mutation of rights in land records under section 110 and partition of holding under section 178 and proceed to hear and pass a common order.
- (2) The provisions of these rules and of section 178 and rules made thereunder shall be followed in the proceedings under sub-rule (1).
- (3) Where any objection relating to partition is raised, the Tahsildar shall pass an order for mutation in land records and direct the parties, who wish to partition the holding, to apply under section 178 separately.

FORM-I
(See Rule 3)

REPORT OF ACQUISITION OF BHUMISWAMI RIGHT OR INTEREST

To,

Tahsildar/Additional Tahsildar/Naib Tahsildar

Tahsil.....

District.....M.P

PART-I

I/We,(Name),.....hereby,
report acquisition of Bhumiswami right or interest in land and request for
mutation in land records under Section 110 of the Madhya Pradesh Land Revenue
Code, (No 20 of 1959).

1. Particulars of persons acquiring right or interest:-

S. No	Name and Address	Name of Father/Mother / Husband /Guardian	Gender	Age	Mobile phone number	Scheduled Tribe/ Other	Description and No. of identity document	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1								
2								

**2. Particulars of persons by whom right/interest/claim is transferred/
assigned/renounced:-**

S. No	Name and Address	Name of Father/Mother/ Husband /Guardian	Gender	Age	Mobile phone number	Scheduled Tribe/ Other	Description and No. of identity document	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1								
2								
3								

3. Particulars of land and right/interest:-

Patwari Halka No/ Sector No.	Name of Village/ Urban area	Survey No./ Block No./ Plot No.	Area (in hectare /sq.mtr.)	Area of land over which Bhumiswami right/interest has been acquired	Names of persons acquiring right/ interest	Particulars of right/interest	
						Share	Area (in hectare /sq.mtr.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

4. Mode of acquisition of Bhumiswami right/ interest:-

S.No	Mode	Required Document (Self attested copies to be attached)	Please tick (✓) if attached
(1)	(2)	(3)	(4)
1	By inheritance	1. Death Certificate or suitable proof of death of the deceased Bhumiswami 2. Family tree/List of heirs and their shares	
2	By will	Will	
3	By purchase	Registered sale deed	
4	By gift	Registered Gift deed	
5	By exchange of land	Registered deed of exchange	
6	By decree of Court	Decree of the Court	
7	By land acquisition	Award passed	
8	By land allotment	Order of the land allotment	
9	By renouncing claims in land	Release deed	
10	By any other mode (not mentioned above)	Relevant document	

5. Details of fee deposited-

(in Rupees)

Amount in figures	Amount in words	Details of the receipt of the fee deposited
(1)	(2)	(3)

DECLARATION

1. I/we.....son/daughter/wife of address
 (full
 address)..... mailing
 mobile

No.....hereby, declare (s) that the information given by me/us is true and correct to the best of my/our knowledge and belief and nothing has been concealed by me/us. I/we also understand that in case of incorrect information submitted by me/us, legal action may be taken against me/us.

2. I/we request that mutation in land records be made as per the information provided by me/us in this report.

Date.....

Place.....

Signature
 Name
 (Person making report)

Essential Enclosures:-

- (1) Copy of khasra
- (2) Copy of pre-mutation sketch (where applicable)
- (3) Copy of proof of address of persons acquiring right or interest
- (4) Copy of proof of identity of persons acquiring right or interest
- (5) If person making report is other than the person acquiring right or interest, a letter of authority signed by the person acquiring right or interest along with proof of address and proof of identity of the person making report shall be furnished.

(6) In case of juristic person-

- (1) a document establishing the identity of the juristic person such as PAN card, GST registration number, CIN number issued by the Registrar of Companies, Registration certificate issued by the registering authority such as Registrar of Firms and Societies, Registrar Public Trusts etc. or Bank Account passbook etc.; and
- (2) a letter of authorization to act on behalf of such juristic person issued by competent body or person shall be attached.

(7) Copy of the documents specified in para 4 of the report above

(8) Copy of receipt of fee

Notes: (1) Self attested copies of the documents shall be attached with this Form.

- (2) Proof of identity may be self attested copy of Aadhar Card or its equivalent, PAN Card, Voter ID, Passport, Driving License, Passbook of any Bank, or any Photo ID issued or certified by any Gazetted Officer of the State Government or the Central Government.

**PART-II
ACKNOWLEDGMENT**

To,

Shri/Smt./Ku.....
 Son/Daughter/Wife of.....
 Address.....

The report submitted in Part-I above is hereby acknowledged.

Date.....
 Place.....
 Authority

Seal

Name and designation of Receiving
 Authority
 Tahsil.....
 District.....

FORM-II
(See Rule 3)

REPORT OF ACQUISITION OF LEASEHOLD RIGHT OR INTEREST

To,

Tahsildar/Additional Tahsildar/Naib Tahsildar.....

Tahsil.....

District.....M.P

PART-I

I/We.....(Name),.....hereby,
report acquisition of leasehold rights or interests in land and request for mutation
in land records under Section 110 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code,
1959 (No 20 of 1959).

1. Particulars of persons acquiring right or interest:-

S. No	Name and Address	Name of Father/Mother / Husband /Guardian	Gender	Age	Mobile phone number	Scheduled Tribe/ Other	Description and No. of identity document	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1								
2								

**2. Particulars of persons by whom right/interest/claim is transferred/
assigned/renounced: -**

S. No	Name & Address	Name of Father/Mother Husband /Guardian	Gender	Age	Mobile phone number	Scheduled Tribe/ Other	Description and No. of identity document	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1								
2								

3. Particulars of land and right/interest:-

Patwari halka No/sector No.	Name of Village/ Urban area	Survey No./ Block No./ Plot No.	Area (in hectare /sq.mtr.)	Area of land over which leasehold rights/ interests has been acquired	Names of persons acquiring rights/ interests	Particulars of right/interest	
						Share	Area (in hectare /sq.mtr.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

4. Mode of acquisition of leasehold right/interest-

S.No	Mode	Required Document (self attested copies to be attached)	Please tick (✓) if attached
(1)	(2)	(3)	(4)
1	By inheritance	1. Death Certificate or suitable proof of death of the deceased lessee 2. Family tree/List of heirs and their share	
2	By will	Will	
3	By purchase	Registered sale deed	
4	By gift	Registered Gift deed	
5	By exchange of land	Registered deed of exchange	
6	By decree of Court	Decree of the Court	
7	By land allotment	Order of the land allotment	
8	By renouncing claims in land	Release deed	
9	By any other mode (not mentioned above)	Relevant document	

5. Details of fee deposited-

(in rupees)

Amount in figures	Amount in words	Details of receipt of the fee deposited
(1)	(2)	(3)

DECLARATION

1. I/we.....son/daughter/wife of address
 (full mailing
 address).....
 mobile No.....hereby, declare (s) that the information given by me/us
 is true and correct to the best of my/our knowledge and belief and nothing has
 been concealed by me/us. I/we also understand that in case of incorrect
 information submitted by me/us, legal action may be taken against me/us.
2. I/we request that mutation in land records be made as per the information
 provided by me/us in this report.

Date.....

Place.....

Signature
 Name
 (Person making report)

Essential Enclosures:-

- (1) Copy of khasra
- (2) Copy of pre mutation sketch (where applicable)
- (3) Copy of proof of address of persons acquiring right or interest
- (4) Copy of proof of identity of persons acquiring right or interest
- (5) If person making report is other than the person acquiring right or interest, a letter of authority signed by the person acquiring right or interest along with proof of address and proof of identity of the person making report shall be furnished.
- (6) In case of juristic person-
 - (1) a document establishing the identity of the juristic person such as PAN Card, GST registration number, CIN number issued by the Registrar of Companies, Registration certificate issued by the registering authority such as Registrar of Firms and Societies, Registrar Public Trusts etc. or Bank Account passbook etc.; and
 - (2) a letter of authorization to act on behalf of such juristic person issued by competent body or person shall be attached.
- (7) Copy of the documents specified in para 4 of the report above
- (8) Copy of receipt of fee

- Notes:** (1) Self attested copies of the documents shall be attached with this Form.
- (2) Proof of identity may be self attested copy of Aadhar Card or its equivalent, PAN Card, Voter ID, Passport, Driving License, Passbook of any Bank, or any Photo ID issued or certified by any Gazetted Officer of the State Government or the Central Government.

**PART-II
ACKNOWLEDGMENT**

To,

Shri/Smt./Ku.....
Son/Daughter/Wife of.....
Address.....

The report submitted in Part-I above is hereby acknowledged.

Date..... Seal
Place,.....

Name and designation of Receiving Authority
Tahsil.....
District.....

FORM-III
(See Rule 3)

**REPORT OF A MINOR BHUMISWAMI OR MINOR LESSEE
ATTAINING MAJORITY**

To,

Tahsildar/Additional Tahsildar/Naib Tahsildar.....

Tahsil.....

District.....M.P

PART-I

I/We.....(name),.....hereby, report
attainment of majority by the following minor Bhumiswami/minor lessee and
request for mutation in land records under Section 110 of the Madhya Pradesh
Land Revenue Code, 1959 (No 20 of 1959).

1. Particulars of persons who have attained majority:-

S. No	Name and Address	Name of Father/ Mother/ Husband/ Guardian	Gender	Date of birth and age	Mobile phone number	Scheduled Tribe/ Other	Description and No. of identity document	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1								
2								
...								

2. Particulars of land:-

Patwari hukka No/sector No.	Name of Village/ Urban area	Survey No./ Block No./Plot No.	Area (in hectare (sq.mtr.)
(1)	(2)	(3)	(4)

3. Details of fee deposited:-

(in rupees)

Amount in figures (1)	Amount in words (2)	Details of receipt of the fee deposited (3)

DECLARATION

1. I/we.....son/daughter/wife of address (full mailing address).....
mobile No..... hereby, declare (s) that the information given by me/us is true and correct to the best of my/our knowledge and belief and nothing has been concealed by me/us. I/we also understand that in case of incorrect information submitted by me/us, legal action may be taken against me/us.
2. I/we request that mutation in land records be made as per the information provided by me/us in this report.

Date.....

Place.....

Signature
 Name
 (Persons making report)

Essential Enclosures:-

- (1) Copy of khasra
- (2) Proof of address of persons attaining majority
- (3) Proof of identity of persons attaining majority
- (4) If person making report is other than the person attaining majority a letter of authority signed by the person attaining majority along with proof of address and proof of identity of the person making report shall be furnished
- (5) Proof of date of birth
- (6) Copy of receipt of fee

Notes: (1) Self -attested copies of the documents shall be attached with this Form.

(2) Proof of identity may be self attested copy of Aadhar Card or its equivalent, PAN Card, Voter ID, Passport, Driving License, Passbook of any Bank, or any Photo ID issued or certified by any Gazetted Officer of the State Government or the Central Government.

PART -II
ACKNOWLEDGMENT

To,

Shri/Smt./Ku.....
 Son/daughter/husband of.....
 Address.....

The report submitted in Part-I above is hereby acknowledged.

Date.....
 Place.....

Seal

Name and designation of Receiving Authority
 Tahsil.....
 District.....

FORM-IV
(See Rule 3)

REPORT OF ACQUISITION OF RIGHT OR INTEREST
(OTHER THAN THOSE CASES REQUIRED TO BE REPORTED IN
FORM-I, FORM-II OR FORM-III)

To,

Tahsildar/Additional Tahsildar/Naib Tahsildar.....

Tahsil.....

District.....M.P

PART-I

I/We.....(name),.....hereby,
report acquisition of following right or interest in land and request for mutation in
land records under Section 110 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959
(No 20 of 1959).

1. Particulars of persons acquiring right or interest:-

S. No	Name and Address	Name of Father/Mother/ Husband /Guardian	Gender	Age	Mobile phone number	Scheduled Tribe/ Other	Description and No. of identity document	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1								
2								

**2. Particulars of persons by whom right/interest/claim is transferred/
assigned/renounced:-**

S. No	Name & Address	Name of Father/Mother Husband /Guardian	Gender	Age	Mobile phone number	Scheduled Tribe/ Other	Description and No. of identity document	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1								
2								

3. Particulars of land and right/interest:-

Patwari hukka No/sector No.	Name of Village/ Urban area	Survey No./ Block No./ Plot No.	Area (in hectare /sq.mtr.)	Area of land over which right/interest has been acquired	Nature of right or interest acquired	Names of persons acquiring rights/interests	Particulars of right/interest	
							Share	Area (in hectare /sq.mtr.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

4. Mode of acquisition of right/interest:-

S. No.	Nature of right/interest	Relevant Documents (self attested copies to be attached)	Please tick (✓) If attached
(1)	(2)	(3)	(4)
1			
2			

5. Details of fee deposited:-

Amount in figures		Amount in words	Details of the receipt of the fee deposited
(1)	(2)	(3)	(4)

DECLARATION

1. I/we.....son/daughter/wife of.....address (full mailing address).....mobile no.hereby, declare that the information given by me/us is true and correct to the best of my/our knowledge and belief and nothing has been concealed by me/us. I/we also understand that in case of incorrect information submitted by me/us, legal action may be taken against me/us.
2. I/we request that mutation in land records be made as per the information provided by me/us in this report.

Date.....

Place.....

Signature
Name
(Persons making report)

Essential Enclosures:-

- (1) Copy of khasra
 - (2) Copy of pre-mutation sketch (where applicable)
 - (3) Copy of proof of address of persons acquiring right or interest
 - (4) Copy of proof of identity of persons acquiring right or interest
 - (5) If person making report is other than the person acquiring right or interest, a letter of authority signed by the person acquiring right or interest along with proof of address and proof of identity of the person making report shall be furnished.
 - (6) In case of juristic person-
 - (1) a document establishing the identity of the juristic person such as PAN Card, GST registration number, CIN number issued by the Registrar of Companies, Registration certificate issued by the registering authority such as Registrar of Firms and Societies, Registrar Public Trusts etc. or Bank Account passbook etc.; and
 - (2) a letter of authorization to act on behalf of such juristic person issued by competent body or person shall be attached.
 - (7) Copy of the documents specified in para 4 of the report above
 - (8) Copy of receipt of fee
- Notes:** (1) Self attested copies of the documents shall be attached with this Form.
- (2) Proof of identity may be self attested copy of Aadhar Card or its equivalent, PAN Card, Voter ID, Passport, Driving License, Passbook of any Bank, or any Photo ID issued or certified by any Gazetted Officer of the State Government or the Central Government.

PART-II ACKNOWLEDGMENT

To,

Shri/Smt./Ku.....
 Son/Daughter/Wife of.....
 Address.....

The report submitted in Part-I above is hereby acknowledged.

Date.....

Seal

Place.....

Name and designation of Receiving Authority
 Tahsil.....
 District.....

FORM-V

(See Rule 3)

**REPORT FOR MUTATION AND APPLICATION FOR PARTITION
OF HOLDING FOR COMMON PROCEEDING IN CASE OF LAND
ASSESSED FOR THE PURPOSE OF AGRICULTURE**

To,

Tahsildar/Additional Tahsildar/Naib Tahsildar.....

Tahsil.....

District.....M.P.

PART-I

I/We.....(name),.....hereby,
report acquisition of Bhuniswami right or interest in land and request for
mutation in land records under Section 110 and partition of holding under
section 178 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No 20 of
1959).

1. Particulars of persons acquiring right or interest:-

S. No	Name and Address	Name of Father/Mother/ Husband /Guardian	Gender	Age	Mobile phone number	Scheduled Tribe/ Other	Description and No. of identity document	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1								
2								

**2. Particulars of persons by whom right/interest/claim is transferred/
assigned/renounced:-**

S. No	Name & Address	Name of Father/Mother Husband /Guardian	Gender	Age	Mobile phone number	Scheduled Tribe/ Other	Description and No. of identity document	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1								
2								

3(A). Particulars of land according to existing land records:-

Patwari halka No/sector No.	Name of Village/ Urban area	Holding no.	Name of Bhumiswami/ Bhumiswamies	Share in holding	Survey no.	Area (in hectare)	Land revenue (in rupees)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

***3(B). Proposal for partition after mutation:-**

Patwari halka No/Sector No.	Name of Village/ Urban area	Name of Bhumiswami/ Bhumiswamis for proposed holdings after partition	Share in holding	Survey no.	Area (in hectare)	Apportioned land revenue (in rupees)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

***Note- It is not mandatory to give proposal for partition in this para. The applicant, if he so desires, may mention in the aforesaid Table his share in the holding, and survey numbers and their areas and apportioned land revenue and show the rest of the holding as a joint holding.**

4. Mode of acquisition of Bhumiswami right/ interest:-

S.No	Mode	Required Document (Self attested copies to be attached)	Please tick (✓) if attached
(1)	(2)	(3)	(4)
1	By inheritance	1. Death Certificate or suitable proof of death of the deceased Bhumiswami 2. Family tree/List of heirs and their shares	
2	By will	Will	
3	By purchase	Registered sale deed	
4	By gift	Registered Gift deed	
5	By decree of Court	Decree of the Court	
6	By land acquisition	Award passed	
7	By land allotment	Order of the land allotment	
8	By renouncing claims in land	Release deed	
9	By any other mode (not mentioned above)	Relevant document	

5. Details of fee deposited-

Amount in figures (1)	Amount in words (2)	Details of the receipt of the fee deposited (3) (in Rupees)

DECLARATION

1. I/we.....son/daughter/wife of address
(full mailing address).....

mobile No.....hereby, declare (s) that the information given by me/us is true and correct to the best of my/our knowledge and belief and nothing has been concealed by me/us. I/we also understand that in case of incorrect information submitted by me/us, legal action may be taken against me/us.

2. I/we request that mutation in land records and partition of holding for the purpose of agriculture be made as per the information provided by me/us in this report and application.

Date.....

Place.....

Signature

Name

(Applicant/Person making report)

Essential Enclosures:-

(1) Copy of khasra

(2) Copy of pre-mutation sketch (where applicable)

(3) Copy of proof of address of persons acquiring right or interest

(4) Copy of proof of identity of persons acquiring right or interest

(5) If applicant/person making report is other than the person acquiring right or interest, a letter of authority signed by the person acquiring right or interest along with proof of address and proof of identity of the applicant/person making report shall be furnished.

(6) In case of juristic person-

(1) a document establishing the identity of the juristic person such as PAN Card, GST registration number, CIN number issued by the Registrar of Companies, Registration certificate issued by the registering authority such as Registrar of Firms and Societies, Registrar Public Trusts etc. or Bank Account passbook etc.; and

- (2) a letter of authorization to act on behalf of such juristic person issued by competent body or person shall be attached.
- (7) Copy of the documents specified in para 4 of the report above
- (8) Copy of receipt of fee
- (9) Particulars given in para 3(B) of the report above and consent signed by co-sharers.

Notes: (1) Self attested copies of the documents shall be attached with this Form.

- (2) Proof of identity may be self attested copy of Aadhar Card or its equivalent, PAN Card, Voter ID, Passport, Driving License, Passbook of any Bank, or any Photo ID issued or certified by any Gazetted Officer of the State Government or the Central Government.

PART-II ACKNOWLEDGMENT

To,

Shri/Smt./Ku.....
 Son/Daughter/Wife of.....
 Address.....

The report and application submitted in Part-I above is hereby acknowledged.

Date.....

Seal

Place.....

Name and designation of Receiving Authority

Tahsil.....

District.....

FORM VI
(See rule 4)

Registering Officer's intimation of registered transactions,
affecting land in Tahsil.....District.....
period from.....to.....

Place.....
Date.....

Seal

Signature
Registering Officer.....
Tahsil.....
District.....

FORM VII
(See Rule 5)

Register of reports of acquisition of rights or interests

Village/Urban area..... Patwari halka No/Sector No..... Tahsil..... District.....

FORM VIII

(See Rule 6)

**Intimation by Patwari / Nagar Sarvekshak to Tahsildar
under sub-section (2) of section 110 of the Code**

Date.....

To,

Tahsildar/Additional Tahsildar/Naib Tahsildar.....

Tahsil.....

District.....M.P

Subject - Intimation of Acquisition of right / interest in land for mutation in land records under Sub-Section (2) of Section 110 of The Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (20 of 1959).

This is for your kind information that during the period from.....to.....following reports have been made to me regarding acquisition of rights / interests in land under sub-section (1) of Section 109 of the Code -

S.No	Date of receipt of report under sub- section (1) of Section 109	Name and Father's/Mother's/ Husband's name, address and mobile phone number of the person reporting	Name and Father's/ Mother's/Husband's/ Guardian's name, address and mobile phone number of the person acquiring right/interest	Particulars of land over which right/interest has been acquired/renounced			Nature of acquisition of right/ interest in land	Form I, II, III, IV or V (as the case may be)	Date on which intimation sent to Tahsildar	Remarks
				Name of village/ urban area	Survey No./ Block No./ Plot No.	Area (in hectare/ sq.mt.)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

The forms and enclosures submitted by the person reporting are forwarded herewith for necessary action.

Date.....

Name & Signature.....

Place.....

Designation.....

List of enclosures

1.

FORM IX
(See Rule 7)
Notice in Revenue Cases

In the Court of

.....Tahsil.....District.....
Case no.....
.....Applicant
Versus
.....Non applicant

To

Shri/Smt./Ku.....son /daughter /husband of.....
Resident of.....Tahsil.....District.....

You are hereby informed that the aforesaid case shall be heard on (date).....at(time).....a.m./p.m. at(place).....you may appear in this Court in person or by legal representative or by an advocate duly instructed and present your case. In case you fail to appear on the above mentioned day, the case will be heard and determined in your absence.

Enclosures:- Copy of report/application.

Date..... Seal
Officer.....
Place.....
Designation.....

Revenue

Endorsement no. 1

Signature of Receiver.....
Name.....
Mobile Phone Number.....
(Relation if other than the addressee)

Endorsement no. 2

Endorsement regarding service

Notice is served on the.....day of.....year.....by me.

.....
Name and signature of process server

FORM X
(See Rule 7)

In the Court of

.....Tahsil.....District.....

Public Notice

Case no.....

It is hereby informed to all persons that the proceedings for mutation in land records as mentioned in the Schedule below is under consideration before this Court. Any person interested may appear on (date).....at (time).....at (place).....before this Court either personally or through an advocate duly instructed or through a legal representative and state his objections in respect of the mutation under consideration. Objections received after the due date shall not be considered.

Schedule

Patwari halka no./sector no	Name of Village/ urban area	Survey No./Block No./Plot No.	Area (in hectare /sq.mtr.)	Name and Father's/Mother's /Husband's name and full address of holder(s) as recorded in existing land records	Name and Father's/Mother's /Husband's name and full address of person(s), in whose favour the mutation is under consideration
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Given under my hand and the seal of the Court, thisday of

Date.....
Place.....

Seal

Name of presiding officer.....
Signature.....

FORM XI
(See Rule 9)

Quarterly report of the mutation cases specified in sub-section (7) of Section 110 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No 20 of 1959)

Position as on(date)

Name of Court.....

Tahsil..... District.....

Part -I: List of undisputed mutation cases pending beyond two months

S.No	Case number	Date of registration of the case	Names of the parties	Current status of the case	Period of pendency of case (in years & months)	Reasons for pendency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1						
2						

Part -II: List of disputed mutation cases pending beyond six months

S.No	Case number	Date of registration of the case	Names of the parties	Current status of the case	Period of pendency of case (in years & months)	Reasons for pendency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1						
2						

Date.....

Place.....

Seal

Name of presiding officer.....

Signature.....

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
MUJEEBUR REHMAN KHAN, Dy. Secy.